



उज्जैन सहकारी दुध संघ मर्यादित,

मकसी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456 010


इन्सुलेटेड वाहनों से श्वेत मक्खन परिवहन हेतु
ई—निविदा प्रपत्र

ई—निविदा क्रमांक उ.दु.स./सं.सं/2019/511

दिनांक: 16.10.2019

उज्जैन सहकारी दुध संघ मर्यादित,
मकसी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456 010
फोन नं. 0734—2527071
ई—मेल: udsplant@gmail.com

ई—निविदा प्रपत्र मूल्य:— रु. 500.00



उज्जैन सहकारी दुध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071,

E-mail: udsplant@gmail.com

क्रमांक: उ.दु.सं./सं.सं./2019/511

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

दिनांक: 16.10.2019




An ISO 9001 : 2000
& ISO 22000 : 2006

—: ई-निविदा सूचना :—

उज्जैन सहकारी दुध संघ के द्वारा भिन्न स्थानों से उज्जैन, इन्दौर एवं अन्य स्थानों तक इन्सुलेटेड वाहनों से श्वेत मक्खन परिवहन कार्य हेतु विभिन्न परिवहनकर्ताओं से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य ऑनलाइन जमा कर मध्यप्रदेश ई-टेंडर की वेबसाइट (www.mpetenders.gov.in) से दिनांक 17.10.2019 से क्रय किया जा सकता है। ई-निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश दुध महासंघ की वेबसाइट पर (www.mpcdf.gov.in) देखा एवं पढ़ा जा सकता है। निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम दिनांक 07.11.2019 समय दोपहर 3:00 बजे तक है। एक निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा प्रपत्र में किसी भी प्रकार के संसोधन की सूचना केवल ऑनलाइन जारी की जायेगी।

क्रमांक	विवरण	अनुमानित मात्रा	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र क्रय राशि
01	श्वेत मक्खन(White Butter) परिवहन कार्य (केवल इन्सुलेटेड वाहनों से)	1200 मेट्रिक टन	रु. 20,000.00 (रु. बीस हजार मात्र)	रु. 500.00 (रु. पाँच सौ मात्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone: (0734) 2527071



An ISO-9001 : 2000
& ISO 22000 : 2005

E-mail: udsplant@gmail.com

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

क्रमांक: उ.दुसं./संस./2019/511

दिनांक: 16.10.2019

	निविदा कार्य – श्वेत मक्खन एवं दुग्ध चूर्ण के परिवहन कार्य हेतु ई–निविदा।	
	ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 500.00 /— (अक्षरी— रूपये पाँच सौ मात्र)
1.	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ जारी करने की दिनांक एवं समय।	दिनांक: 17.10.2019 दोपहर 3.00 बजे से (ई पोर्टल के माध्यम से)
2.	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 07.11.2019 दोपहर 1.00 बजे तक (ई पोर्टल के माध्यम से)
3.	ई–निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 08.11.2019 दोपहर 3.00 बजे (ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	ई–निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
5.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	अमानत राशि	रु. 20,000.00 (रूपये बीस हजार मात्र) ऑनलाइन भुगतान द्वारा
7.	संलग्न प्रपत्र	परिशिष्ट–अ (सामान्य नियम/शर्त) परिशिष्ट–ब (निविदाकार के विवरण) परिशिष्ट–स (अनुबंध प्रपत्र) परिशिष्ट–द (दर प्रपत्र)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

परिशिष्ट (अ)

सामान्य नियम एवं शर्तें

- 01— निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ अमानत राशि रु. 20,000.00 (रु. बीस हजार मात्र) का ऑनलाइन भुगतान एवं समर्त दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किये जाने होंगे। अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में अमानत राशि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ऑनलाइन वापस कर दी जावेगी।
- 02— ई—निविदा दिनांक 08.11.2019 को दोपहर 3.00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। ई—निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
- 03— निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति की राशि रु. 3,00,000.00 (रु. तीन लाख मात्र) बैंक ग्यारहन्ती सात दिवस में उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन में जमा कराना होगी। जो कि कार्य समाप्त होने पर पूर्ण कार्य की समीक्षा के पश्चात वापस की जावेगी, तथा इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निश्चित अवधि में प्रतिभूति राशि जमा न करने पर अमानत राशि राजसात करते हुए उन स्थानों के लिये निविदा अन्य ठेकेदारों को दी जा सकेगी।
- 04— निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर प्रथम की अमानत राशि को छोड़ कर शेष निविदाकर्ता की अमानत राशि 30 कार्यदिवस में वापिस कर दी जावेगी।
- 05— परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।
- 06— परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात तुरन्त प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन को आवश्यकतानुसार श्वेत मक्खन की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्णतः अधिकार रहेगा।
- 07— परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का देयक भुगतान हेतु कार्यालय में सामग्री प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- 08— परिवहनकर्ता को नियमानुसार टेक्स पृथक से देय होगा। जिसे देयक में क्लेम करना होगा।
- 09— परिवहनकर्ता द्वारा श्वेत मक्खन पूर्ण मात्रा समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है, तो संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा अमानत राशि जप्त कर ली जावेगी।
- 10— परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के उपरांत वाहन निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते हैं तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर अन्य परिवहनकर्ता से कार्य कराया जावेगा।
- 11— निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरें प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि इन्सुलेटेड वाहन में श्वेत मक्खन की मात्रा, प्रदेश, केन्द्र सरकार के नियमों के अन्तर्गत ही भरा जावेगा। श्वेत मक्खन का परिवहन, वाहन क्षमता से अधिक नहीं चाहिये।
- 12— एक अथवा समर्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के पास सुरक्षित है।

13— निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृति हो जाने पर रु. 1000/- (रु. एक हजार मात्र) के नॉन-ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के साथ कार्यादेश प्राप्ति से 07 दिवस में अनुबंध निष्पादित करना होगा।

14— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ उज्जैन को यदि वह आवश्यक समझता है तो यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को अपने स्वयं के निर्णय से बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर सकें जिसके लिये परिवहनकर्ता किसी तरह आपत्ति नहीं उठा सकेंगे।

15— यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद की अधिनिर्णयार्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति उभय पक्ष की सहमति से होगी यदि इसमें विवाद है, तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिट्रेटर एकट 1996 के अनुसार होगी व Arbitrator and Conciliator का निर्णय अंति होकर उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा। आर्बिट्रेटर की फीस का भुगतान दोनों पक्ष समानता से वहन करेंगे। यहां यह उल्लेखनिय है कि आर्बिट्रेटर विवाद को अधिकतम दो माह की अवधि में निराकरण करेंगे।

16— क्योंकि यह अनुबंध उज्जैन में निष्पादन किया जा रहा है इस कारण किसी भी विवाद को चुनौती देने हेतु उज्जैन सहकारी न्यायालय ही उक्त विवादों के निपटारा किये जाने का क्षेत्राधिकार रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

परिशिष्ट (ब)

—: अनुबंध पत्र :—

यह अनुबंध पत्र लिखवा लेने वाले मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ कहा गया है) एवं

(जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र मे द्वितीय पक्ष/श्वेत मक्खन परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के बीच निम्न शर्तों पर, व्यवसायीक अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है :—

01— ठेके की अवधि कार्य आदेश जारी करने के दिनांक से छः माह तक रहेगी। जो आपसी सहमति से पूर्व निर्धारित दर पर बढ़ाई जा सकती है।

02— सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाली खाली वाहनों की मांग के विषय मे सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकता अनुसार परिवहन हेतु लगने वाले ट्रकों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा मे यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष/परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।

03— परिवहन कार्य के लिये मांग प्राप्ति/सूचित करने से एक दिवस मे वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की गई राशि प्रथम पक्ष द्वारा ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी तथा इस बावद सूचना पृथक से ठेकेदार को देने के लिये संघ बाध्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संघ को कोई भी परिवहन शुल्क देय होता है, तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष से वसूलने को अधिकार होगा।

04— साधारणतः संघ मे ट्रक खाली करने का समय कार्य दिवस मे प्रातः 9:00 से सायंकाल 5:00 बजे तक रहता है। तत् पश्चात वाहन आने पर संयंत्र परिसर मे खड़ा रहेगा जिसका कोई अतिरिक्त भाड़ा नहीं दिया जायेगा।

05— परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

06— परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों मे वैधानिक जानकारी उल्लेखित हो माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।

07— नियमानुसार टेक्स का कटोत्रा भाड़ा देयकों से काटा जावेगा, नियमानुसार टेक्स पृथक से देय होगा जिसे देयक मे क्लेम करना होगा। ठेकेदार द्वारा अपने देयक का संपूर्ण व्यौरा मय टैक्स नियमानुसार संघ को दो प्रतियों मे प्रदाय की जाये।

08— परिवहन करते समय मार्ग मे किसी प्रकार की टूट-फूट नुकसान, श्वेत मक्खन, खराब होना, कमी आदि के लिये जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।

09— लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।

10— परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहादर्पूण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संघ की जान—माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

11— परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत ठेकेदार श्रमिक कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारियों के कृत्य के लिए ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा एवं संघ के नुकसान की भरपाई भी वाहन ठेकेदार से ही की जायेगी।


12— उपरोक्त शर्तों के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारी द्वारा समय समय पर दिए आदेशों जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनका पालन हेतु ठेकेदार स्वयं बाध्य होगा।

13— ठेकेदार निर्देशित स्थान से मक्खन उठायेगा एवं निर्देशित स्थान पर ही उतारेगा और ऐसा करते समय वह सुनिश्चित करेगा कि मक्खन की गुणवत्ता किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी।

14— स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी।

15— यदि ठेके की शर्तों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो विवाद की अधिनिर्णयार्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति उभय पक्ष की सहमति से होगी यदि इसमें विवाद है, तो आर्बिट्रेटर की नियुक्ति आर्बिट्रेटर एक्ट 1996 के अनुसार होगी व Arbitrator and Conciliator का निर्णय अंति होकर उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा। आर्बिट्रेटर की फीस का भुगतान दोनों पक्ष समानता से वहन करेंगे। यहां यह उल्लेखनिय है कि आर्बिट्रेटर विवाद को अधिकतम दो माह की अवधि में निराकरण करेंगे।

16— क्योंकि यह अनुबंध उज्जैन में निष्पादन किया जा रहा है इस कारण किसी भी विवाद को चुनौती देने हेतु उज्जैन सहकारी न्यायालय ही उक्त विवादों के निपटारा किये जाने का क्षेत्राधिकार रहेगा।



उज्जैन सहकारी दुध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh
Phone : (0734) 2527071



E-mail: udsplant@gmail.com

No. U.S.D.S./P.O./2019/511

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

Date: 16-10-2019

1. निविदाकार का नाम
(पिता के नाम सहित)

2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता

3. कार्यालय का पता
(अ) दूरभाष/मोबाईल नम्बर
(ब) E-Mail

4. निविदा के साथ जमा राशि
विवरण (D.D की छायाप्रति अपलोड करें)

5. PAN No.
(छायाप्रति अपलोड करें)

6. G.S.T. No.
(छायाप्रति अपलोड करें)

7. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं.
(छायाप्रति अपलोड करें)

8. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो
(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करें)

नोट :-

घोषणा


एतद द्वारा मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये हैं। मैंने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तों तथा सूची को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य हैं।

स्थान:-

दिनांक :-

—आवेदक—

निविदाकार (निविदाकार के हस्ता.)



उज्जैन सहकारी दुध संघ मर्यादित

UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456010, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527071

E-mail: udsplant@gmail.com

G.S.T. No. 23AAAAU0051C1ZB

No.U.S.D.S./P.O./2019/511

Date: 16-10-2019



An ISO-9001 : 2000

& ISO 22000 : 2005

परिशिष्ट – (द)

—: दर प्रपत्र :—

इन्सुलेटेड वाहनों से श्वेत मक्खन परिवहन हेतु दर प्रपत्र

निविदाकार/फर्म का नाम :—

श्वेत मक्खन परिवहन हेतु दर (प्रति मेट्रिक टन के मान से)(मय लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय)					
क्रमांक	कहाँ से	कहाँ तक	दर	जीएसटी यदि हो तो	कुल दर
01	Ujjain MP	Indore MP			
02	Gwalior MP	Ujjain MP			
03	Gwalior MP	Indore MP			
04	Maxi MP	Ujjain MP			
05	Maxi MP	Indore MP			